International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक समीक्षात्मक अध्ययन

Dr. Hemant Kumar
M.A Ph.D,
Department of Political Science, Maa Omwati College, Hassanpur, Dist. Palwal, Haryana, India

सारांशः

यह अध्ययन निशुक और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के समीक्षात्माक अध्यन के लिए किया गया है। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का मूल आधार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चो को अच्छी गुणवत्ता तथा उचित कौशल युक्त व व्यवस्था के अनुरूप शिक्षा देना है। ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य माध्यम शिक्षा है चाहे वह ज्ञान धार्मिक, सामाजिक, राजनितिक व आर्थिक किसी भी रूप में क्यो ना हो। वास्तविक शिक्षा से मानवीय गरिमा स्वाभिमान समता व विश्व बंधुत्व की भावना में वृद्धि होती है जो सम्पूर्ण विश्व के कल्याण में सहायक है। भारत सरकार इस शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के माध्यम से सभी बच्चों को चाहे वह किसी भी वर्ण से हो बगैर अमीर–गरीब उॅच–नीच का भेद भाव किए समान रूप से शिक्षा देने के लिए कृत–संकल्प है।

प्रस्तावनाः

किसी भी देश के विकास के लिए सर्वप्रथम जो आवश्यक है वह है शिक्षा। इस वास्तविकिता को धरातल पर लाने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 को 4अगस्त 2009 को संसद में पारित करने की एक सकारात्मक पहल की है इस अधि0 के अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चो के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान है । इस अधिनियम के प्रभाव को इसी से समझा जा सकता है कि इसके पारित होने से देश भर के सभी मान्यता प्राप्त विधालयों में 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित हो गई साथ ही वह बच्चे जो गरीबी के कारण अपनी शिक्षा ग्रहण नही कर पा रहे थे। ऐसे बच्चों को बिना किसी आवासीय या अन्य प्रमाण– पत्र के उनकी आयु के अनुसार कक्षाओ मे प्रवेश देना होगा।

यही नहीं शुल्क की आपूर्ति भी सरकार द्वारा की जाएगी। इस समबन्ध में स्कूलो की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए इस नए अधिकार के अन्तर्गत अभिभावकों के पास स्कूलों के खिलाफ अदालत में शिकायत करने का विकल्प भी होगा । इन प्रावधनो को देखकर प्रथम दृष्ट्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार न केवल बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है अपितु इसके लिए प्रभावी कदम भी उठा रही है।भारतीय संविधान के निर्माताओ ने इस बात पर गहन चिन्तन किया की अंतिम पायदान पर खडे बच्चे को किस प्रकार शिक्षा दी जाये।

सविधान निर्माताओ ने अपने इस चिन्तन को धरातल पर लाने के लिए सविधान के भाग चार मे नितिनिदेशकतत्वो मे अनु0 45 में एक प्रवधान किया जिसके अन्तर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेंदारी

राज्यों की होगी । परन्तु सविधान के लागू होने के 68 वर्ष व्यतित होने के पश्चात भी भारत में लगभग 40 प्रतिशत बच्चें शिक्षा से वंचित थे इस तरफ किसी भी सरकार का ध्यान आर्कषित नही हुआ लेकिन न्यायालय के संज्ञान लेने के कारण एक अधिनियम का निर्माण हुआ तथा संविधान में संशोधन हुआ जिसे 86 वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। यह संशोधन 2002 मे पारित हुआ लेकिन इसे 4 अगस्त 2009 मे लोकसभा मे पारित किया गया । इसे कानून का दर्जा मिलने मे 7 वर्ष लग गये । इस प्रकार इस अधिनियम के पारितहोने से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चो के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया तथा इसे जम्मू–काशमीर को छोडकर पूरे भारत मे 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। राष्टपति के अनुमोदन के बाद इसे 21 अगस्त 2009 को राजपत्र मे प्रकाशित कर दिया गया। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135 वॉ देश है।

प्रावधान :

निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मे बच्चों के लिए संवैधानिक प्रवधान किये गये हैः–

1. प्रत्येक बच्चों को निवास क्षेत्र के 1 कि0 मी0 के दायरे मे प्राथमिक स्कूल और 3 कि0 मी0 के दायरे में माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। यदि किसी कारणवस निर्धारित दूरी पर स्कूल उपलब्ध नही है तो बच्चो के लिए छात्रावास या आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए।
2. बच्चों को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी अनुदान नही मॉगेगा। साथ ही बच्चे, बच्चो के माता–पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नही करेगा।यदि कोई संस्था ऐसा करती है तो दन्ड का प्रावधान है ।
3. दिव्यॉग बच्चें भी सामान्य बच्चो के साथ सामान्य स्कूलो मे शिक्षा प्राप्त कर सकते है।
4. किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा। तथा 8 साल तक कि शिक्षा पूरी करने तक किसी भी ब्च्चे को स्कूल से नही हटायाजायेगा।
5. किसी भी बच्चें को आवश्यक दस्तावेजो की कमी के कारण स्कूल मे दाखिला लेने से नही रोका जायेगा । स्कूल मे प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने बाद भी किसी भी बच्चें को प्रवेश के लिएमना नही किया जायेगा, साथ ही किसी बच्चे को प्रवेश परिक्षा देने के लिए नही कहा जायेगा ।
6. स्कूलो मे शिक्षको और कक्षाओ की संख्या प्रयाप्त मात्रा मे रहेगी अर्थात प्रत्येक 30 बच्चों पर एक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा तथा प्रिंसिपलके लिए एक अलग कमरा उपल्बध कराया जायेगा
7. कोई भी शिक्षक/शिक्षिका निजी शिक्षा या निजी शिक्षण या गतीविधि नही बतायेगा/ बतायेगी।
8. स्कूल मे लडके और लडकीयो के लिए अलग– अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी
9. किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दन्ड नही दिया जायेगा।
10. इस अधिनियम के अर्न्तगत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर तहसील, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है ।

अधिनियम का इतिहासः

1. दिसंबर 2002 अनु0 21 के माध्यम से 86 वें संशोधन विधेयक मे 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार माना गया

2. अक्टूबर 2003 उपरोक्त अनु0 मे वर्णित कानून मसलन बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर अक्टूबर 2003 मे इसे वेबसाइट पर डाला गया और आमजन से इस के लिए राय और सुझाव आंमंत्रित किये गए।
3. 2004–मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारुप तैयार कर वैबसाइट पर डाला गया।
4. 2005 जून–केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद समिति में शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारुप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इसे नैक(नेशनल असैस्मेंट एक्रिएडेशन काउंसिल) के पास भेजा जिसकी अघ्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी थी नैक ने इस विधेयक को प्रधान मन्त्री के ध्यानार्थ भेजा।
5. 14 जुलाई 2006–वित्त–समिति और योजना आयोग ने विधेयक को कोष के अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक माडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यो को भेजा (76 वे संशोधन के बाद राज्यो ने राज्य स्तर पर कोष की कमी की बात कही थी।)
6. 19 जुलाई 2006–सीएसीएल,एफएएफआरई और कैब ने आईएलपी तथा संसद की कार्यवाही के प्रभाव पर विचार करने व भावी रणनीति तैयार करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाये जाने वाले कदमो पर विचार करने के लिए आंमत्रित किया।

पक्ष:

अप्रेल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ लागू होने के साथ ही इसे अनु0 21 में मौलिक अधिकार में स्थान प्राप्त हुआ। तभी से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हो गया । यह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार था। इसका सबसे अधिक लाभ उन 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के लगभग 92 लाख बच्चों को होना था जो पढाई छोड चुके थे या अभी तक स्कूल नही जा पाए थे। इस कानून को लागू करने के लिए 25 हजार करोड रुपये उपलबध कराए गए साथ ही इसके क्रियान्वयन के लिए अगले 5 वर्षो में एक लाख 71 हजार करोड रूपऐ का अनुमानित बजट रखने का प्रवधान किया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि एक शिक्षक पर 40 से अधिक छात्र नही होंगे साथ ही समावेशी शिक्षा को बढावा देने के लिए निजी स्कूलो में गरीबों और बंचितों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण और बच्चो को प्रत्येक वर्ष की परीक्षा से मुक्ति शामिल है। इस अधिकार के लागू होने के बाद भारत अब अफगांनिस्तान, चीन, स्विट्जरलैट सहित अन्य 17 देशो मे शामिल हो गया है जहॉ 8 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। दीर्घ–कालीन संघर्ष के पश्चात देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। निःसन्देह यह सरकार का सराहनीय कदम है।

विपक्ष के तर्क:

सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाकर एक प्रकार से स्वय को भेदभाव रहित शिक्षा देने की संवैधानिक मुक्ति दी है। परन्तु इस कानून मे कई त्रुटियॉ है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एंव अनिवार्य शिक्षा देने वाला विधेयक पारित हो चुका है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस कानून द्वारा वास्तव में शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सकता है। तो उत्तर होगा– नहीं। यदि सरकार इस विषय पर गंभीर होती तो सरकार समान

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

विधालय प्रणाली और पडोसी विधालय की अवधारणा का काम करती, जिसकी अनुशंशा कोठारी आयोग ने की थी। परन्तु इसके विपरीत सरकार सार्वजनिक–निजि साझेदारी व्यवस्था को केन्द्र में रखकर ही शिक्षा नीति बनाने में जुटी है जिससे अंतत शिक्षा का नही बल्कि निजी क्षेत्र का फायदा होने वाला है। इस कानून मे 6 वर्ष से उपर के बच्चों के बारे मे तो वर्णित है परन्तु 6 वर्ष तक के 17 करोड बच्चो की शिक्षा के बारे मे कोई जिक्र नही किया गया है।

इस कानून के अनुसार निजी स्कूलो मे गरीब बच्चों के 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित होगा। परन्तु इस कि गारंटी क्या होगी कि निजी विधालय बगैर भेद–भाव के उन बच्चों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान करेगें। फिर यह सुविधा केवल ऑठवीं तक होगी उसके पश्चात वह गरीब बच्चे फिर से सडकों पर होगें। बिल की धारा 27 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी शिक्षक को गैर–शिक्षकीय कार्य में नही लगाया जाएगा। सिर्फ जन–गणना, चुनाव और आपदा राहत के, लेकिन इन्ही कार्या में शिक्षको की सहभागीता को समाप्त करने की बात की जा रही थी। आर0टी0ई0 की धारा 26 विधालयों मे स्वीकृत शिक्षकों के कुल पदों में से अधिकतम 10 प्रतिशत पदों को किन्ही कारणवश खाली रखने की अनुमति देता है परन्तु सरकारी स्कूलो मे आज भी शिक्षकों के इससे कहीं अधिक पद खाली है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देश में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चो की संख्या करीब 22 करोड है। इनमें से 2 करोड ऐसें है जो अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थिती के कारण स्कूल नही जा पाते। इस संबंध में साक्षरता व शिक्षा के सरकारी आंकडे चाहे जो बोले लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर राज्यो की ग्रामीण आबादी का अधिकांश भाग निरक्षर है। आज साक्षरता के नाम पर केन्द्र सरकार करोडो रुपए खर्च कर रही है फिर भी आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश की एक तिहाई जनसंख्या निरक्षर है। यधपि संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट शब्दो मे कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर सरकार को 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त शिक्षा देनी होगी परन्तु ऐसा संविधान लागू होने के 6 दशक बाद भी नही हो पाया है।

उपसंहारः

यदि हम बुनियादी शिक्षा की वास्तविक स्थिति पर दृष्टि डालते है तो पाएगें कि शिक्षा की यह जमीन दलदली है इस पर एक मजबूत शैक्षिक इमारत का निर्माण खतरे से खाली नही है। देश मे लगभग 26 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल इस स्थिति में नही है किवह बेहतर शिक्षा दे पाऐ। उन स्कूलों के पास अध्यापकीय, कार्यालयीय व अन्य बुनियादी ढॉचा तक नही है। विगत दो दशको में देश की प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक स्कूलो भी संख्या मे वृद्धि तो हुई है परन्तु हम इस वास्तविकता से भी इंकार नही कर सकते हैं कि अभी भी विभिन्न राज्यो में शिक्षको की भी संख्या में असमानता विधमान है। जबकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता की गारटी लेने को कौन तैयार है? कौन शिक्षकों को प्रेरित करेगा कि वह अपने छात्रों के भविष्य निर्माण में रूची रखे? एक प्रश्नयह भी खडा होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत क्या स्कूलों मे प्रारम्भिक स्कूली शिक्षा को प्रतिशत, शिक्षको, संसाधनों, गुणवत्ता और धन केअभाव से मुक्त किया जा सकता है? क्या केन्द्र की इस महत्वाकॉक्षी योजना को राज्य की ओर से पर्याप्त वित्तीय समर्थन प्राप्त होगा। क्या शहरी या अर्ध शहरी इलाको में निजि स्कूलो मे 25 प्रतिशत निर्धन पृष्ठभूमि के बच्चों को मुफ्त शिक्षा स्वप्न साकार हो सकेगा ? दरअसल देश की शिक्षा व्यवस्था में बडे और क्रान्तिकारी बदलावों की आवश्यकता है साथ ही असमानता मिटाने के लिए विधालय, एक जैसे संसाधन और एक जैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है अन्यथा इस अधिनियम की कोई सार्थकता नही रह जाएगी।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आधुनिक भारत के शैक्षिक इतिहास का मंगलकार्य सिद्ध हो सकता है बशर्ते इसे पूरी निष्ठा व इमानदारी से लागू किया जाए

संदर्भ–सूचीः

1. भारत सरकार अधिनियम–अगस्त 2009
2. एलस्टोन, फिलिप व रोविन्सन, मैरी– मौलिक अधिकार और विकास, ऑक्सफोर्ड यूनि0 प्रैस, 2009
3. लोकेश कौल–मैथ्योडोलौजी ऑफ ऐजुकेशनल रिसर्च, विकास पब्लिशिंगहाउस प्राईवेट लि0, 2004
4. सरोज व कंचन– राईट टू ऐजुकेशन इन इंडिया एज ए फन्डामेंटल राईट्स नेशनल सेमिनार 21 जनवरी 2010 इन्द्रप्रस्थ यूनि0 दिल्ली।

बैवसाईटसः

1. **www.wikipedia.org**
2. **www.actionaidindia.org**
3. **www.educationforallindia.com**
4. **www.hrea.org/erc/lib/display**